<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2198

02 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें

2198. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामीः
श्री अजय निषादः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सूचना प्रदाताओं को कथित रूप से पद से हटाने/बर्खास्त करने, जाति आधारित भेदभाव, अनुचित व्यवहार, अनियमितताओं, कदाचार, नियमों के उल्लंघन को लेकर फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों की कुल संख्या, सेवा से निकाले/बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के संबंध में शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सूचना प्रदाताओं की बर्खास्तगी, अनियमितताओं, अनुचित व्यवहार, कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र बनाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा सूचना प्रदाताओं/कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कुल 62 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें व्हिस्ल ब्लोअर की सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी, जाति आधारित भेद-भाव, अनुचित व्यवहार, अनियमितताओं, कदाचार, नियमों के उल्लंघन जैसे विभिन्न आरोप लगाए गए हैं।

(ग) और (घ): एफएसएनएल के कार्यचालन की निगरानी के लिए इस्पात मंत्रालय और एफएसएनएल में एक निर्धारित प्रणाली है, ताकि व्हीस्ल ब्लोअर्स की बर्खास्तगी, अनुचित व्यवहार, अनियमितताओं तथा कदाचार पर रोक लगाई जा सके। इस विषय में प्राप्त ऐसी सभी शिकायतों का निपटान आचार, अनुशासन एवं अपील नियमावली (सीडीए नियम), एफएसएनएल के स्थायी कार्य आदेश तथा सतर्कता मैनुअल के साथ-साथ भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। कोई व्हिस्ल ब्लोअर भारत सरकार के लोकहित प्रकटन और मुखबिर संरक्षण संकल्प/व्हिस्ल ब्लोअर तंत्र के अंतर्गत शिकायत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एफएसएनएल का कोई भी कर्मचारी व्हिस्ल ब्लोअर नीति के अंतर्गत एफएसएनएल बोर्ड की ऑडिट समिति के अध्यक्ष को प्रकटन/शिकायतें कर सकता है।

***